[श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल]

न जाय बल्कि हृदय के अन्दर से फूट कर निकले। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो भिन्न भिन्न प्रान्त हैं उनके दिल और दिमाग एकता के सूत्र में बंधे। हम ऐसी एकता चाहते हैं।

तो, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जब कि यह बिल अपने देश के अन्दर प्रान्तों का विभाजन करने के लिये लाया जा रहा है तब देश के अन्दर तरह तरह की आवाजे उठ रही हैं, पंजाबी सूबा बनाने की आवाज उठ रही है, संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण करने की आवाज उठ रही है जो कि वर्तमान युग की आवाज नहीं है। वर्तमान युग की आवाज क्या है? वर्तमान युग की आवाज है सह-अस्तित्व की आवाज, कोएक्जिस्टेंस की आवाज, कोआपरेशन और सहिष्णुता की आवाज। आज अणुशक्ति का युग है। आज वह युग है जब कि काल और देश इनके जो व्यवधान हैं, इनकी जो दूरी है, वह बिल्कुल खत्म हो गई है और

5 P.M.

आज दुनिया सिमट कर एक हुआ चाहती है। श्रीमन्, वर्तमान युग का संदेश और आदर्श है मानवता—वर्ल्ड सिटीजनशिप, विश्व-मानवता।

श्री व्य० कृ० ढगे (हैद्राबाद) : आप कल भी बोलेंगी तो ठीक रहेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She is about to close.

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहती। मैं यही कहना चाहती हूं कि आज के युग का जो संदेश है, आज के युग की जो भावना है, आज के युग की जो भाषा है, उसको हम समझें और उसी में बोलें। हम यह याद करें कि हमारा देश आज संसार के अंदर सबको शांति का संदेश देता रहा है, वह दुनिया को रोशनी देता है। हम विश्व शांति का संदेश दें लेकिन हमारे अपने घर में अंधेरा हो, अपने यहां हम चप्पे-चप्पे जमीन पर लड़ा करें, हम दूसरों को सह-अस्तित्व का उपदेश दें और अपने घर में फूट का नजारा हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात, श्रीमन्, और क्या हो सकती है। इस भूमिका में, इन विचारों के प्रकाश में यदि हम इस बिल को देखें, तो हमें मालूम होगा कि यह बिल इसी उद्देश्य के साथ लाया जा रहा है जिससे हमारे प्रदेशों के अंदर जो भिन्न भिन्न सीमाएं हैं, उनमें आपस में जो फर्क है उसको मिटाया जाय। इस बिल का उद्देश्य सीमाओं को खड़ा करना नहीं बल्कि मिटाना होगा। इसी आशा और इसी कामना के साथ हम इस बिल का स्वागत करते हैं।

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. INDIAN LAC CESS (AMENDMENT) BILL, 1956

II. MULTI-UNIT CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 1956

SECRETARY: Sir, I have to report to the House two messages received from the Lok Sabha signed by the Secretary of the Lok Sabha. They are as follows:

I

"In accordance with the provisions of rule 157 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 14th August, 1956, agreed without any amendment to the Indian Lac Cess (Amendment) Bill, 1956, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 17th February, 1956.

II

"In accordance with the provisions of rule 157 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 14th August, 1956, agreed without any amendment to the Multi-Unit Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1956 which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 16th February, 1956."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 17th August 1956.

GIPN—S3—13Rajya Sabha/56.—26-8-57—470